उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-262/2016/1539/38-1-2016-02 टी0आर0/2016
लखनऊ: दिनांक: 1 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय- आदेश संख्या-780-बी/स्था0प्र0/2016, दिनांक 17.06.2016 द्वारा श्री राम समुझ, खण्ड विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी का खण्ड विकास अधिकारी, गोण्डा के पद पर किया गया स्थानान्तरण सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उक्त कार्यालय- आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

उमा कान्त पाठक
उप सचिव।

संख्या-262/2016/1539(1)/38-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ/देवीपाटन मण्डल ।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी/गोण्डा ।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी/गोण्डा ।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी ।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

उमा कान्त पाठक
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।